प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई)

सत्यमेव जयते

कृषक यत्न रक्षणम्

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घोषित फसल बीमा योजना
(खरीफ 2016 से लागू)

ऐग्रिकल्चर इन्श्यूरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ए.आई.सी.)

"लागत, मेहनत की फसल को ऐसे न गवाऐं, अपनी फसल का बीमा अवश्य करायें''

योजना की विशेषतायें

- ❖ **कवर किए जाने वाले किसान :** अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान
- ❖ **अनिवार्य कवरेज :** अधिसूचित क्षेत्र/फसल के सभी फसली ऋणी किसान जिसके लिए फसल मौसम के दौरान ऋण सीमा स्वीरकृत ध्नवीकृत की गई है
- ❖ **स्वैच्छिक कवरेज :** अधिसूचित क्षेत्र/फसलकगैर ऋणी किसान।

योजना के अन्तर्गत बीमा योग्य फसलें

❖ खाद्यान्न फसलें (अनाज, मोटे अनाज और दलहन) ❖ तिलहन ❖ वार्षिक वाणिज्यिंक एवं वार्षिक बागवानी फसलें

आवरित जोखिम

क) **व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक विपदा के कारण (खड़ी फसलें, अधिसूचित क्षेत्र आधार पर) :** व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक विपदा के कारण उपज में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति (पूर्व निर्धारित गारण्टीड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में आयी कमी के आधार पर)।

ख) **बुआई/रोपनी न होने के कारण (अधिसूचित क्षेत्र आधार पर) :** अधिसूचित क्षेत्रा के अधिकतर बीमित किसानों द्वारा बुआई/रोपाई के उद्देश्य से खर्च उठाने के उपरान्त, विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण बीमित फसल की बुआई/रोपाई से वंचित रह जाने की दशा में, बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति ।

ग) **फसल कटाई उपरान्त नुकसान (व्यतक्तिगत फार्म आधार पर) :** फसल कटाई से 14 दिन की अधिकतम अवधि में चक्रवात/चक्रवात वर्षा एवं बेमौसम बारिश के विशेष खतरों के कारण हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति।

घ) **स्थानीय आपदाएं (व्यक्तिगत फार्म आधार पर) :** ओलावृष्टि, भूस्खलन, और जलभराव के कारण हए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति।

अग्रिम दावा भुगतान : मौसम के मध्य में, यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनुमानित वास्ततिक उपज थ्रेसहोल्ड उपज से 50 प्रतिशत से कम रहने की सम्भावना होती है, संभाव्य दावों का अधिकतम 25 प्रतिशत तुरन्त देय होगा जोकि फसल मौसम के अंतिम दावों से समायोजित किया जायेगा।

क्रम सं.	मौसम	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत)
1.	खरीफ	सभी फसल (सभी अनाज, मोटे अनाज,दलहन और तिलहन)	2.0%
2.	रबी	सभी फसल (सभी अनाज, मोटे अनाज, दलहन और तिलहन)	1.5%
3.	खरीफ और रबी	वार्षिक वाणिज्यिक एवं वार्षिक बागवानी फसलें	5%

अधिक जानकारी हेतु कृपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं इसकी प्रचालन दिशा निदेश का संदर्भ ग्रहण करें।

शिकायत समाधान के लिए कृपया लॉग–ऑन करें :
http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grievance_Home.aspx

ऐग्रिकल्चर इन्श्यूरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: तल 5, प्लेट बी एवं सी, ब्लॉक-1, पूर्व किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023

दूरभाष: (+91 11) 20815049, ई – मेल : aicho@aicofindia.com

कृषक यत्न रक्षणम्

www.aicofindia.com

बीमा आग्रह की विषय–वस्तु है। यह केवल विज्ञापन सामग्री है। शर्तें लागू।

HO/15-16/1B/09